

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -134 / 2023-निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनाम 1. पार्वती देवी /रामेश्वर चित्तौडा
बिजौलियां जिला भीलवाडा निवासी वार्ड नं. 07, धानमण्डी के
पास, बिजौलिया तहसील बिजौलिया
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत
बिजौलिया

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

पट्टा क्रमांक 1702 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत

उपरिस्थित-

1. विभागीय पेरोकार- निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नहीं किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पट्टा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लंघना की गयी। जिसमें नक्शा नहीं बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पट्टा कोरम से अनुमोदित नहीं कराया गया। पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1702 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में विभागीय पेराकार की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140



Dr
18.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नहीं किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पट्टा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लंघना की गयी। जिसमें नक्शा नहीं बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पट्टा कोरम से अनुमोदित नहीं कराया गया। पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1702 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि मिसल पत्रावली परीक्षण से ज्ञात हुआ कि मिसल पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं किये हुये हैं। 'नक्शा आबादी भूमि में तलिया का ' पर भी किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। न ही प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 1702 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1702 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा